छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक एफ 1–15 / 2007 / 16, रायपुर, दिनांक 02-02-2013

प्रति,

श्रमायुक्त,
श्रमायुक्त कार्यालय,
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :– बंधुवा श्रमिकों के पुर्नवास के लिए आबंटन बाबत्।

राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश में बंधक श्रमिकों के पुर्नवास योजना के अंतर्गत बंधक श्रमिकों के संबंध में अन्य आकस्मिक व्यय हेतु रुपये 10.00 लाख विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

उपरोक्त पर होने वाला व्यय मांग संख्या–18, शीर्ष –2230, श्रम और रोजगार (01), श्रम (112), बंधुवा मजदूरों को पुर्नवास –0701 केन्द प्रवर्तित योजना समन्वय (2837), बंधक मजदूरों की पुर्नवास योजना के अंतर्गत विकलनीय होगा।

उक्त योजना शीर्ष के मद में अन्य आकस्मिक व्यय से बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के प्रचार–प्रसार एवं जन जागरूकता कार्यक्रम मदों में व्यय के अतिरिक्त निम्न मदों में विकलयीन होगे :–

1. 'कार्यवाही दल' के प्रत्येक सदस्य को 'बंधक श्रमिकों' के नियुक्ति हेतु 'बंधक श्रमिक' के कार्य स्थल तक पहुचने एवं उनके वापस आने में होने वाले यात्रा व्यय का वास्तविक भुगतान, उनके द्वारा यात्रा भत्ता देयक प्रस्तुत करने पर कलेक्टर द्वारा किया जावेगा।
2. 'कार्यवाही दल' के प्रत्येक सदस्य को 'बंधक श्रमिकों' के विमुक्ति हेतु यात्रा के दौरान तथा विमुक्ति हेतु कार्यस्थल में ठहरने के दौरान व्ययतीत अवधि हेतु प्रतिदिन रू0 500 दैनिक व्यय का भुगतान किया जावेगा।
3. विमुक्त 'बंधक श्रमिकों' एवं उसके परिवार के सदस्यों को बंधक कार्यस्थल से निवास स्थान पर पहुचाने में होने वाले वास्तविक यात्रा का व्यय एवं उनके भोजन के लिए प्रति व्यक्ति रू0 100 / – प्रतिदिन का भुगतान किया जावेगा।

4. विमुक्त 'बंधक श्रमिक' एवं उसके परिवार के यात्रा के दौरान एवं निवास स्थान पहुचाने व चिकित्सीय परीक्षण में होने वाले व्यय की भुगतान किया जावेगा।

5. 'कार्यवाही दल' के प्रत्येक सदस्य को रू0 5,000/– का अग्रिम भुगतान उसके यात्रा एवं दैनिक व्यय हेतु किया जावेगा।

6. 'कार्यवाही दल' के प्रमुख को 'बंधक श्रमिकों' की वापसी हेतु रू0 500/–प्रति श्रमिक के मान से यात्रा व्यय एवं दैनिक व्यय तथा चिकित्सीय परीक्षण हेतु अग्रिम भुगतान किया जावेगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 06/2012, परिपत्र क्रमांक/2277/एल–66/2012/वित्त/ब–4/चार, दिनांक 02.03.2012 में उल्लेखित दिशा निर्देश के तहत् जारी की जाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एन0डी0कुदानी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क0 एफ 1–15/2007/16,
रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :–

04. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
05. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
06. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रायपुर।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग